



दिनांक:—19.06.2024

- श्रीमान पुलिस आयुक्त राजेन्द्र सिंह व पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा बालश्रम उन्मूलन हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान उमंग-III के तहत 01 नाबालिग बालक को बाल श्रम से मुक्त करवाया गया।
- मानव तस्करी विरोधी यूनिट, जोधपुर पूर्व द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध कार्यवाही एवं रेस्क्यू।

कार्यवाही विवरण:—आज दिनांक को पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा बाल श्रम उन्मूलन हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान उमंग-III के तहत श्री लाभूराम अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त **SIUCAW** जोधपुर पूर्व के निकटतम सुपरविजन में जिले में नाबालिग बच्चों से कराये जा रहे बालश्रम की रोकथाम की कार्यवाही में आज मानव तस्करी विरोधी यूनिट, जोधपुर पूर्व की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये पीडब्ल्यूडी रोड, घनश्याम डेयरी के सामने, लक्ष्मी भोजनालय, रातानाडा जोधपुर पर 01 नाबालिग बालक से बालश्रम करवाते पाये जाने पर नाबालिग बालक को नियमानुसार संरक्षण में लेकर बाल कल्याण समिति जोधपुर के समक्ष पेश किये जाने पर नाबालिग बालक को बाल कल्याण समिति जोधपुर के आदेश से किशोर गृह मण्डोर में दाखिल करवाया गया। ताबाद पुलिस थाना रातानाडा पहुँच लक्ष्मी भोजनालय, रातानाडा जोधपुर के संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया।

पुलिस टीम:—

1. श्री सीताराम भाकल उ.नि. प्रभारी मानव तस्करी विरोधी यूनिट जोधपुर पूर्व।
2. श्री सुमेरसिंह कानि 3040 मानव तस्करी विरोधी यूनिट जोधपुर पूर्व।
3. श्री कन्हैयालाल कानि 1940 मानव तस्करी विरोधी यूनिट जोधपुर पूर्व।
4. श्रीमति बेबी मंकानि 196 मानव तस्करी विरोधी यूनिट जोधपुर पूर्व।
5. श्री महेन्द्रसिंह झाईवर कानि नं 45 मानव तस्करी विरोधी यूनिट जोधपुर पूर्व।